न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 8 / 2023 — दायर दिनांक 02.02.2023

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. हाफिज खां पुत्र हनीफ 2. अ0 रहमान पुत्र भंवरू खां 3. शफी खां पुत्र साजत खां 4. जीवन खां पुत्र साजत खां 5. हुसैत खां पुत्र साजत खां 6. शेर मो0 पुत्र साजत खां 7. नजीर खां पुत्र साजत खां 8. वजीर खां पुत्र साजत खां 9. मकबुल खां पुत्र हनीफ 10.असगर खां पुत्र अलाब्दीवगस 11.शोकत खां पुत्र अलाब्दीवगस 12.मुस्ताक अली खां पुत्र गुमान खां 13.हवीब खां पुत्र नियामत खां 14.नूर मोहम्मद खां पुत्र गुमान खां 15.खातुन वानू पूत्री गुमान खां 16.रहीसा वानू पत्नि हिदायद खां 17.गुलशेर खां पुत्र हिदायद खां 18.युनुश खां पुत्र हिदायद खां 19.इस्लाम वानू हिदायद खां 20.गुलशन वानू पुत्री हिदायद खां 21.सोनम वानू पुत्री हिदायद खां 22.शरीफ खां पुत्र नियामत खां 23.सरोज वानू पुत्री नियामत खां 24.जरीना वानू पुत्री नियामत खां 25.रहीशा वानू पत्नि युसुफ खां 26.सवीर खां पुत्र युसुफ खां 27.शारूख पुत्र युसुफ खां 28.इमरान खां पुत्र युसुफ खां 29.किस्मत वानू पुत्री युसुफ खां 30.अयुव खां पुत्र हिदायद खां समस्त जाति कायमखानी मुसलमान निवासीगण निम्वी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम	1. मजीद खां दत्तक पुत्र ईलाईवगस खां जाति कायमखानी निवासी निम्वी कलां। 2. उम्मेद खां पुत्र करीम खा जाति कायमखानी निवासी निम्वी कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुदीन वकील प्रार्थी।
2. श्री हाफिज खां वकील अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 09.05.2025

संक्षेप में प्रार्थी की [illegible] इस प्रकार है [illegible] खेत खसरा सं0 445 रकबा 3.0100 हैक्टे0 मौजा निम्वी कलां, [illegible] कलां तहसील डीडवाना [illegible] नागौर राज. में अवस्थित है जो की हमारी खातेदारी [illegible] शुदा खेत है। उक्त खेत [illegible] नम्बर 445 में वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु प्रार्थी ने आप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 452 व 455 में

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहते है।

प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 07.06.2022 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा जरिये अपील संख्या 97/2022/225/नागौर दिनांक 01.02.2023 को अपास्त किया जाकर निर्देशित किया गया कि तहसीलदार डीडवाना मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट उपभयपक्षकारान को सूचित कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 व 70 में विहित प्रावधानों के अनुरूप उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करे।

प्रकरण को पुनः उक्त वर्णित नम्बर से दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना से जरिये पत्रांक– रीडर/2023/370 दिनांक 24.07.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 445 में आवागमन हेतु कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 455 पर मार्क एफ से डी, खसरा सं. 452 पर मार्क सी से डी प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार डीडवाना प्राप्त मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट तैयार करने दौरान संबंधित पक्षकारान की उपस्थिति करना अति आवश्यक है परन्तु मौका रिपोर्ट में कहीं भी अप्रार्थीगण की उपस्थिति नहीं बताई गई है। वकील प्रार्थी ने आपत्ति का जवाब देना नहीं चाहा। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि तहसीलदार डीडवाना द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अप्रार्थीगण उम्मेदखां व मजीदखां मौके पर बुलाने पर नहीं आए था न ही नोटिस प्राप्त किया। नोटिस खसरा संख्या 455 पर लगे गेट पर चस्पा कर मौतविरान के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं बहस के आधार पर अप्रार्थीगण अधिवक्ता की आपत्ति को खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 445 में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 370 दिनांक 24.07.2023 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 455 पर मार्क एफ से डी, खसरा सं. 452 पर मार्क सी से डी प्रस्तावित रास्ता वाके सरहद निम्बी कलां में से रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी०एल०सी० दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भुगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः 370 दिनांक 24.07.2023 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक [illegible]2025 को खुले इज[illegible] सुनाया गया।

Vikas
([illegible] मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner